क्रम-संख्या—262

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 27 अप्रैल, 1978
वैशाख 7, शक सम्वत् 1900

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1175/सत्रह-वि0-1—12-1978
लखनऊ, 27 अप्रैल, 1978

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश विधियों का संशोधन विधेयक, 1978 पर दिनांक 26 अप्रैल, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1978 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश विधियों का संशोधन अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1978)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 और कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी-विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1960 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश विधियों का संशोधन अधिनियम, संक्षिप्त नाम

अध्याय दो

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1951 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 2 में--

(एक) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, और सदैव से बढ़ाई गई समझी जायेगी, अर्थात्--

"(1-क) उप-धारा (1) के अधीन इस अधिनियम के उपबन्धों में अपवाद या परिष्कार करने के लिए राज्य सरकार के अधिकार का प्रयोग समय-समय पर किया जा सकता है।";

(दो) उपधारा (2) और उसके स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा और स्पष्टीकरण रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे, अर्थात्--

"(2) जहां उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किया गया प्रख्यापन किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में हो, जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन निबंधित किसी सहकारी समिति या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन सीमित दायित्व वाली किसी कम्पनी द्वारा किसी गृह-निर्माण योजना के प्रयोजनों के लिए 7 जुलाई, 1949 को धृत हो, वहां राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, लोक हित में, प्रख्यापन का विखंडन या अतिक्रमण ऐसे क्षेत्र के संबंध में कर सकती है, जिसका अधिसूचना के दिनांक तक गृह-निर्माण योजना के निष्पादन में, चाहे ऐसी समिति या सोसाइटी या कम्पनी के किसी व्यतिक्रम के कारण या किसी अन्य कारण से, उपयोग वस्तुतः नहीं किया गया है।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जायगा कि गृह निर्माण योजना के निष्पादन में क्षेत्र का उपयोग वस्तुतः नहीं किया गया है, यदि इस उपधारा के अधीन अधिसूचना के दिनांक पर--

(क) भवन-निर्माण स्थल की स्थिति में, कम से कम नींव पूरा होने के स्तर तक निर्माण न किया गया हो; और

(ख) किसी अन्य स्थिति में, भूमि पर कोई सड़क या पार्क नहीं है।

(3) उस भूमि के क्षेत्र का, जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना जारी की जाय, उपयोग राज्य सरकार द्वारा गृह निर्माण और नगर विकास प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति से किया जा सकता है, जो नियत की जाय।":

अध्याय तीन

कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी-विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1960 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, सन् 1960 में नई धारा 4-क का बढ़ाया जाना

3--कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी-विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1960 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्--

"4-क-वन भूमि में हिस्सेदार के स्वत्व का राज्य सरकार में निहित होना

दिनांक 1 जनवरी, 1978 से वन भूमि के सम्बन्ध में प्रत्येक हिस्सेदार के अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे, और समस्त भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे, और इस अध्याय और अध्याय पांच के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, वन भूमि पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी खास्कारी भूमि पर लागू होते हैं।"

धारा 6 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 6 में--

(एक) उपधारा (1) में खण्ड (4) को दिनांक 1 जनवरी, 1978 से निकाल दिया गया समझा जायेगा।

(दो) उपधारा (2) को दिनांक 1 जनवरी, 1978 से निकाल दिया गया समझा जायेगा।

धारा 18 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 18 में, उपधारा (1) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्--

"(गग) किसी निजी वन की स्थिति में, उससे होने वाली औसत वार्षिक आय, जिसकी गणना निहित होने के दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती बीस कृषि वर्षों की अवधि में ऐसे वन से होने वाली आय के आधार पर की जायेगी;"।

धारा 19 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 19 में,--

(एक) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्--

"(1) धारा 12 के अधीन हिस्सेदार को देय प्रतिकर निम्नलिखित होगा:--

(क) खायकारी भूमि की स्थिति में, धारा 18 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट लगानी आय में से, हिस्सेदार द्वारा देय मालगुजारी, अबवाब और स्थानीय करों को घटाने के पश्चात् निकाली हुई धनराशि का तीस गुना ;

(ख) निजी वन की स्थिति में, ऐसे वन से होने वाली औसत वार्षिक आय की धनराशि का आठ गुना।"

(दो) उपधारा (3) में, खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायेगा; अर्थात्--

"(घ) ठेके के अधीन खायकारी भूमि और निजी वन की लगानी आय और औसत वार्षिक आय,"।

धारा 47 का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 47 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्,--

"(3) राज्य सरकार अनुवर्ती अधिसूचित आज्ञा द्वारा, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी आज्ञा का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, अतिक्रमण या परिष्कार कर सकती है, और कोई ऐसा अतिक्रमण या परिष्कार किसी पूर्ववर्ती दिनांक से, जो उस उपधारा के अधीन जारी की गई आज्ञा के दिनांक से पहले का न हो, प्रभावी किया जा सकता है।"

धारा 52 का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (2) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह है कि किसी वन भूमि के संबंध में प्रत्येक ऐसी आज्ञा ऐसे दिनांक से प्रभावी होगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।"

अध्याय चार

प्रकीर्ण

वैधीकरण

9--किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के प्रवर्तन से किसी छूट को समाप्त करने वाली या समाप्त करने का तात्पर्य रखने वाली, राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी कोई अधिसूचना, जो किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में हो, जिसका ऐसी अधिसूचना के दिनांक के पूर्व गृह-निर्माण योजना के निष्पादन में उपयोग वस्तुतः न किया गया हो, एतद्द्वारा, यथासंशोधित उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके जारी की गयी समझी जायेगी और सदैव से इस प्रकार जारी की गई समझी जायेगी, जहां विज्ञप्ति से संबंधित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र हो जिसका इस प्रकार जारी की गयी विज्ञप्ति के दिनांक तक इस अधिनियम के अध्याय दो द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के अर्थान्तर्गत किसी गृह-निर्माण योजना के निष्पादनार्थ उपयोग वस्तुतः न किया गया हो।

निरसन और अपवाद

10--(1) उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश विधियों का संशोधन अध्यादेश, 1977 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित अध्याय दो और तीन में उल्लिखित किसी मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र देव शर्मा,

सचिव।

No. 1175 (2) /XVII-V-1—12-1978

Dated Lucknow, April 27, 1978

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Zamindari Vinash Vidhiyon Ka Sanshodhan Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 1978), as passed by the Uttar Pradesh Legislature, assented to by the President on April 26, 1978 :

THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION LAWS (AMENDMENT) ACT, 1978

[U. P. Act no. 15 of 1978]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 *and the Kumaun and Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms Act*, 1960.

It is hereby enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Chapter I

Preliminary

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Zamindari Abolition Laws (Amendment) Act, 1978.

(2) It shall be deemed to have come into force on November 30, 1977.

Chapter II

Amendment of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 1 of 1951.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950—

(i) *after* sub-section (1), the following sub-section shall be inserted and be deemed always to have been *inserted*, namely:—

"(1-A) The power of the State Government under sub-section (1) to make exceptions or modifications in the provisions of this Act may be exercised from time to time,";

(ii) *for* sub-section (2) and the Explanation thereto, the following sub-section and Explanation shall be substituted and be deemed always to have been *substituted*, namely :—

"(2) Where the declaration made by the State Government under clause (*c*) of sub-section (1) is in respect of any area held on the seventh day of July, 1949, for the purposes of a housing scheme by a co-operative society registered under the U.P. Co-operative Societies Act, 1965 or a society registered under the Societies Registration Act, 1860 or a limited liability company under the Companies Act, 1956, the State Government may by notification, in public interest, rescind or supersede the declaration in respect of such area as has not actually been utilised in execution of a housing scheme till the date of the notification whether on account of any default on the part of such society or company or for any other reason whatsoever.

Explanation—An area shall, for purposes of this sub-section, be deemed to have not been actually utilised, in execution of a housing scheme if on the date of the notification under this sub-section:—

(*a*) in the case of a building site, constructions have not been made at least up to the stage of completion of foundation; and

(*b*) in any other case, the land is not covered by any road or park.

(3) The area of land in respect of which a notification under sub-section (2) is issued may be utilised by the State Government for the purposes of housing and urban development in such manner as may be prescribed."

CHAPTER III

Amendment of the Kumaun and Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1960

Insertion of new section 4-A in U. P. Act no. XVII of 1960.

3. *After* section 4 of the Kumaun and Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1960, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

"4-A. With effect from January 1, 1978 the rights, title and interest of every *hissedar* in respect of forest land shall cease and shall vest in the State Government free from all encumbrances, and the provisions of this Chapter and Chapter V shall *mutatis mutandis* apply to a forest land as they apply to a *khaikari* land."

Vesting of interest of *hissedar* in the forest land.

Amendment of section 6.

4. In section 6 of the Principal Act,—

(i) in sub-section (1), clause (iv) shall be deemed to have been *omitted* with effect from the first day of January, 1978.

(ii) sub-section (2) shall be deemed to have been *omitted* with effect from the first day of January, 1978.

Amendment of section 18.

5. In section 18 of the principal Act, in sub-section (1), *after* clause (*c*) the following clause shall be *inserted*, namely:—

"(*cc*) in the case of a private forest, the average annual income therefrom which shall be computed on the basis of the income from such forest for a period of twenty agricultural years immediately preceding the date of vesting ;"

Amendment of section 19.

6. In section 19 of the Principal Act,—

(i) *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(1) The compensation payable to a *hissedar* under section 12 shall be—

(*a*) in the case of *khaikari* land, thirty times of the amount arrived at after deducting the land revenue, cesses and local rates payable by such *hissedar* from the rental income referred to in sub-section (2) of section 18 ;

(*b*) in the case of a private forest, eight times of the amount of average annual income from such forest." ;

(ii) in sub-section (3), *for* clause (*d*), the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(*d*) the rental income and average annual income of the *khaikari* land and the private forest under the *theka*;".

Amendment of section 47.

7. In section 47 of the principal Act *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(3) The State Government may, by a subsequent notified order, supersede or modify an order issued under sub-section (1) wholly or partly, and any such supersession or modification may be made retrospectively to a date not earlier than the date of the order issued under that sub-section."

Amendment of section 52.

8. In section 52 of the principal Act, in sub-section (2) the following proviso shall be *inserted*, namely:

"Provided that every such order shall have effect in relation to a forest land from such date as may be specified by the State Government in this behalf."

CHAPTER IV

Miscellaneous

Validation.

9. Notwithstanding any judgment, decree or order of any court a notification made by the State Government discontinuing or purporting to discontinue any exemption from the operation of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 in respect of an area as had not actually been utilised in execution of a housing scheme before the date of such notification shall be deemed to be and always to have been made in exercise of powers under sub-section (2) of section 2 of that Act as hereby amended where the area to which the notification relates was such as had, within the meaning of sub-section (2) of section 2 of the said Act as amended by Chapter II of this Act not been actually utilised for execution of a housing scheme till the date of the notification so made.

Repeal and saving.

10. (1) The Uttar Pradesh Zamindari Abolition Laws (Amendment) Ordinance, 1977 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under any of the principal Acts mentioned in Chapters II and III as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Acts as amended by this Act, as if the provisions of this Act, were in force at all material times.

By order,

R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.